भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-802
जिसका उत्तर 21 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन

802. श्रीमती गोमती सायः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छत्तीसगढ़ में विद्युत/बिजली उत्पादन और वितरण हेतु पृथक् कंपनियां स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थापित की गई कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन कंपनियों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इस संबंध में अनुपालित मानदण्ड का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : जी, हाँ। छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ में विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए अलग-अलग कंपनियां स्थापित की गई हैं। इन कंपनियों के नाम (i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड; और (ii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड हैं।

श्री शैलेंद्र कुमार शुक्ला को क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 77(i) और अनुच्छेद 92 में प्रदत्त शक्तियां सौंपते हुए राज्य सरकार के दिनांक 28.01.2019 के आदेश संख्या 139/F-1-5/PCApptt./2018/13/1 और दिनांक 28.01.2019 के आदेश संख्या 143/F-1-5/PCApptt./2018/13/1 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

****